

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-11

संख्या-183/1-11-2014-02(जी)/2010

लखनऊ : दिनांक :: 01 जुलाई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त एवं सचिव संगठन के अधीन कार्यरत दूरभाष नंबर- 2236305 व 2236309 के सापेक्ष दिनांक 01.05.2014 से 01.06.2014 तक की अवधि के लिये प्राप्त बिलों की कमशः धनराशि 14,279/- (चौदह हजार दो सौ उन्यासी मात्र) व धनराशि 1,110/- (रूपये एक हजार एक सौ दस मात्र) कुल धनराशि रु0-15,389/- (रूपये पन्द्रह हजार तीन सौ नवासी मात्र) का भुगतान अंकित विवरणानुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, लखनऊ को किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	दूरभाष नंबर	एकाउण्ट नंबर	बिल दिनांक	धनराशि
1.	2236305	1001097876	01.05.2014 से 01.06.2014	14,279 / -
2.	2236309	1001097876	01.05.2014 से 01.06.2014	1,110 / -

कुल योग- 15,389 / -

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर -05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 183 (1)/1-11-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. समीक्षा अधिकारी, लेखा/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10
6. महाप्रबन्धक (मोबाइल)बी0एस0एन0एल0, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(प्रवेन्द्र सिंह सागर)

अनु सचिव